

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफ़ ए क्यू) - रिलीफ़ सहायता

क्र.स	प्रश्न	उत्तर
1.	रिलीफ़ सहायता क्या है?	रिलीफ़ (रेज़िलिएन्स एंड लॉजिस्टिक्स इंटरवेंशन फ़ॉर एक्सपोर्ट फ़ैसिलिटेशन), निर्यात संवर्धन मिशन (ई पीई एम) के अंतर्गत एक सीमित-समय सहायता उपाय है, जिसका उद्देश्य खाड़ी एवं पश्चिम एशिया समुद्रतटीय पथ में व्यावधानों के कारण बढ़ती लॉजिस्टिक्स लागत, युद्ध ज़ोखिम एवं बीमा प्रीमियम में वृद्धि का सामना कर रहे भारतीय निर्यातकों की सहायता करना है।
2.	इसमें किस प्रकार के कार्गो और किन देशों को शामिल किया गया है?	संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इज़राइल, कुवैत, कतर, ओमान, बहरीन, इराक, ईरान, यमन, ईजिप्ट और जॉर्डन जैसे देशों में सुपुर्दगी अथवा पोतलदान अंतरण के लिए भेजे गए निर्धारित कंटेनर भार (एफ़ सी एल), निर्धारित कंटेनर भार से कम (एल सी एल) अथवा तापमान नियंत्रित कंटेनर (जल्द नष्ट होने वाले पेरिशेबल माल) वाले पोतलदान शामिल हैं।
3.	घटक I के अंतर्गत कौन से निर्यातक पात्र हैं?	वे निर्यातक जिनके द्वारा पहले से ही ईसीजीसी ऋण बीमा रक्षा प्राप्त की गई है एवं युद्ध संबंधी ज़ोखिमों तथा संबंधित राजनीतिक ज़ोखिमों के कारण हानि से प्रभावित होते हैं, वे कंपोनेंट I के तहत उन पोतलदानों के लिए रक्षा के पात्र हैं, जिनका ऑन-बोर्ड बिल ऑफ़ लैडिंग अथवा एयरवे बिल की तिथि 14 फरवरी, 2026 से 15 मार्च, 2026 तक के मध्य थी।
4.	घटक II के अंतर्गत कौन से निर्यातक पात्र हैं?	वे निर्यातक जो 16 मार्च, 2026 अथवा उसके पश्चात आरंभ होने वाली नई स्टैंडअलोन पॉलिसियों या पूर्ण-टर्नओवर पॉलिसियों के अंतर्गत ईसीजीसी के ऋण बीमा रक्षा का विकल्प चुनते हैं एवं प्रभावित देशों में युद्ध संबंधी ज़ोखिमों तथा संबंधित राजनीतिक ज़ोखिमों के कारण हानि से प्रभावित होते हैं, वे कंपोनेंट II के तहत उन पोतलदानों के लिए रक्षा के पात्र हैं, जिनका ऑनबोर्ड बिल ऑफ़ लैडिंग अथवा एयरवे बिल दिनांक 16 मार्च, 2026 से 31 मार्च, 2027 तक के मध्य है।
5.	घटक III के अंतर्गत कौन से निर्यातक पात्र हैं?	नॉन-ईसीजीसी-बीमाकृत एम एस एम ई निर्यातकों के लिए, उन पोतलदानों के लिए जिनका ऑनबोर्ड बिल ऑफ़ लैडिंग दिनांक 14 फरवरी, 2026 से 15 मार्च, 2026 के तक मध्य है।
6.	क्या नॉन-एम एस एम ई निर्यातक इस रक्षा के लिए पात्र हैं?	हां, नॉन-एम एस एम ई निर्यातक, घटक I एवं II के अंतर्गत रक्षा के लिए पात्र हैं, परंतु घटक III के अंतर्गत नहीं।

क्र.स	प्रश्न	उत्तर
7.	क्या इनमें से किसी भी घटक के अंतर्गत कोई विशिष्ट अपवर्जन है?	(i) ऊर्जा पोतलदान घटक II के अंतर्गत अपवर्जित हैं। (ii) नॉन-एम एस एम ई निर्यातकों एवं हवाई पोतलदान घटक III के अंतर्गत अपवर्जित हैं। (iii) बैक-टू-टाउन/ पुनः आयातित कार्गो तीनों घटकों के अंतर्गत अपवर्जित हैं।
8.	क्या माल की क्षति रिलीफ़ सहायता के अंतर्गत रक्षित की जाती है?	नहीं। माल को होने वाली भौतिक क्षति एवं सामान्य बीमाकर्ताओं की 'समुद्री बीमा' पॉलिसियों के अंतर्गत बीमित ज़ोखिम, रिलीफ़ सहायता के अंतर्गत रक्षित नहीं किए जाते हैं।
9.	क्या घटक I एवं II के अंतर्गत अतिरिक्त रक्षा के लिए कोई अतिरिक्त प्रीमियम देय है?	नहीं। पात्र पोतलदान के लिए प्रीमियम व्यावधान से पहले के स्तर पर ही रहेगा।
10.	क्या कोई प्रक्रियाकरण अथवा प्रशासनिक शुल्क देय है?	नहीं। रिलीफ़ सहायता के अंतर्गत दावों को संसाधित करने के लिए इसीजीसी को कोई प्रक्रियाकरण अथवा प्रशासनिक शुल्क देय नहीं है।
11.	घटक III के अंतर्गत किन व्ययों का दावा किया जा सकता है?	निर्यातकों द्वारा वहन किए गए अतिरिक्त माल ढुलाई एवं बीमा के 50% तक (सी.आई.एफ़ अनुबंधों के लिए) अथवा अनुबंधित एफ़.ओ.बी मूल्य एवं प्राप्त निर्यात आय के मध्य असाधारण अधिभारों के कारण हुई कमी के 50% तक की प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी, जो माल ढुलाई अथवा बीमा लागत में वृद्धि के कारण हुई हो। इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे: i. युद्ध ज़ोखिम अधिभार (डब्ल्यू आर एस)/ आपातकालीन संघर्ष अधिभार (ई सी एस) अथवा इसी प्रकार के शुल्क; ii. अतिरिक्त युद्ध ज़ोखिम प्रीमियम (ए डब्ल्यू आर पी); iii. समुद्री मार्गों में व्यावधान से संबंधित अतिरिक्त संघर्ष-संबंधी पोतलदान शुल्क; एवं, iv. माल ढुलाई पर लागू अतिरिक्त बीमा प्रीमियम।

क्र.स	प्रश्न	उत्तर						
12.	क्या घटक -III के अंतर्गत दावा निपटान की कोई सीमा है?	इस घटक के अंतर्गत सभी पात्र पोतलदानों के लिए प्रति आई.ई.सी कुल सहायता ₹50 लाख से अधिक नहीं होगी।						
13.	मैं इन लाभों के लिए आवेदन कैसे करूँ?	(i) दावे/दस्तावेज़ ईसीजीसी ग्राहक पोर्टल www.ecgcld.in पर रिलीफ़-I एवं II नामक पृथक लिंक के माध्यम से प्रस्तुत किए जाने आवश्यक हैं। (ii) दावे/दस्तावेज़ ईसीजीसी ग्राहक पोर्टल www.ecgcld.in पर एक पृथक लिंक रिलीफ़ -III के माध्यम से प्रस्तुत किए जाने आवश्यक हैं। (iii) जिन ग्राहकों के पास यूज़र आई.डी एवं पासवर्ड नहीं है, उन्हें सेवाओं का उपयोग करने से पहले ईसीजीसी ग्राहक पोर्टल www.ecgcld.in पर इन्हें जनरेट करना होगा तथा निर्यातक विवरण प्रस्तुत करने होंगे। (iv) यूज़र आई.डी एवं पासवर्ड जनरेट करने तथा निर्यातक विवरण प्रस्तुत करने (यानी, निर्यातक पंजीकरण प्रक्रिया) के बारे में मार्गदर्शन के लिए वीडियो लिंक एवं यह कि ईसीजीसी के नॉन-पॉलिसीधारक रेलीफ़ सहाता - घटक III के अंतर्गत दावों के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं, ईसीजीसी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल (@ecgcld7016) पर उपलब्ध हैं, व निम्नलिखित लिंक के माध्यम से उन तक पहुंचा जा सकता है: <table><tr><th>विवरण</th><th>यूट्यूब लिंक</th></tr><tr><td>निर्यातक पंजीकरण प्रक्रिया</td><td>https://youtu.be/h8qiE81Zwa8?si=apn8AO91N9BBvFkc</td></tr><tr><td>ईसीजीसी के नॉन-पॉलिसीधारकों के लिए दावा आवेदन</td><td>https://youtu.be/W4LaCijlCTk?si=8J9KWkKWe d1cqkBF</td></tr></table>	विवरण	यूट्यूब लिंक	निर्यातक पंजीकरण प्रक्रिया	https://youtu.be/h8qiE81Zwa8?si=apn8AO91N9BBvFkc	ईसीजीसी के नॉन-पॉलिसीधारकों के लिए दावा आवेदन	https://youtu.be/W4LaCijlCTk?si=8J9KWkKWe d1cqkBF
विवरण	यूट्यूब लिंक							
निर्यातक पंजीकरण प्रक्रिया	https://youtu.be/h8qiE81Zwa8?si=apn8AO91N9BBvFkc							
ईसीजीसी के नॉन-पॉलिसीधारकों के लिए दावा आवेदन	https://youtu.be/W4LaCijlCTk?si=8J9KWkKWe d1cqkBF							
14.	क्या बैक-टू-टाउन (बी टी टी) / पुनः आयातित कार्गो बीमा के लिए पात्र नहीं हैं?	(i) बैक-टू-टाउन (बी टी टी) एवं पुनः आयातित की स्थितियां रिलीफ़ घटकों I, II तथा III के दायरे से बाहर हैं। (ii) यद्यपि, ईसीजीसी द्वारा निर्यातकों को जारी की गई पॉलिसियों के अंतर्गत "निर्यातित माल के पुनः आयात" से होने वाले हानि से रक्षा प्रदान किया जाता है, जिसमें आगे एवं वापसी का माल भाड़ा, हैंडलिंग शुल्क, भंडारण एवं विलंब शुल्क आदि शामिल हैं। तदनुसार, निर्यातक-पॉलिसीधारक (पी एच) ईसीजीसी की पॉलिसी के अंतर्गत सामान्य बीमित प्रतिशत तक दावा करने के पात्र होंगे।						

क्र.स	प्रश्न	उत्तर
15.	एफ़ ओ बी अनुबंधों के लिए बैंक प्राप्ति प्रमाण पत्र (बी आर सी) प्रस्तुत करना क्यों आवश्यक है?	एफ़ ओ बी अनुबंधों में, माल ढुलाई एवं बीमा का भुगतान खरीदार का दायित्व होती है, जो सी आई एफ़ (लागत, बीमा एवं माल ढुलाई) अनुबंधों के विपरीत है, जहां निर्यातक माल ढुलाई व बीमा का भुगतान करता है एवं बिल प्रस्तुत करता है। रिलीफ़ घटक III के अंतर्गत, एफ़ ओ बी निर्यातकों को अनुबंधित एफ़ ओ बी मूल्य तथा असाधारण अधिभारों (जैसे युद्ध ज़ोखिम अधिभार आदि) के कारण प्राप्त आय के मध्य की कमी के लिए प्रतिपूर्ति की जाती है, जो कमी के 50% तक सीमित है (प्रति निर्यातक ₹50 लाख की कुल सीमा के अधीन)। अतः, निर्यातक द्वारा दावा किए गए "वास्तविक हानि" को सत्यापित करने के लिए बी आर सी/ई-बी आर सी आवश्यक है। यद्यपि, खरीदार द्वारा भुगतान न करने की स्थिति में, संबंधित योजना घटक के अंतर्गत उल्लिखित पात्रता के अनुसार मुआवज़ा उपलब्ध होगा, बशर्ते निर्यातक, खरीदार द्वारा भुगतान न करने व निर्यातक द्वारा वहन किए गए अतिरिक्त माल ढुलाई/ बीमा एवं अधिभार आदि के दस्तावेज़ी प्रमाण प्रस्तुत करने में सक्षम हो।
16.	घटक III के अंतर्गत प्रतिपूर्ति का दावा करने के लिए कौन से दस्तावेज़ प्रस्तुत करना आवश्यक हैं?	रिलीफ़ घटक I एवं II के लिए, ईसीजीसी दावा प्रपत्र में सूचीबद्ध मानक दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे। रिलीफ़ घटक III के लिए, सूची देखने के लिए दस्तावेज़ पर क्लिक करें।
17.	क्या रिलीफ़ घटक के अंतर्गत किए गए दावे का ईसीजीसी पॉलिसी के नो क्लेम बोनस पर कोई प्रभाव पड़ता है?	रिलीफ़ सहायता के घटक I एवं II के अंतर्गत भुगतान की गई अतिरिक्त दावों की राशि, निर्यातकों को जारी की गई ईसीजीसी पॉलिसियों के अंतर्गत दावा-प्रीमियम अनुपात (सी पी आर) को प्रभावित नहीं करेगी। इसके अतिरिक्त, नॉन- ईसीजीसी बीमित एम एस एम ई निर्यातकों के लिए रिलीफ़ सहायता घटक-III के अंतर्गत प्रतिपूर्ति की गई राशि को भविष्य में ईसीजीसी से प्राप्त होने वाली किसी भी पॉलिसी में सी पी आर निर्धारित करने के लिए ध्यान में नहीं रखा जाएगा।
18.	क्या ट्रांसपोर्ट / लॉजिस्टिक्स / बीमा आदि सेवाओं पर निर्यातकों द्वारा भुगतान किए गए जीएसटी शुल्क, रिलीफ़ घटकों के तहत प्रतिपूर्ति के लिए पात्र हैं?	(i) निर्यातकों द्वारा परिवहन / लॉजिस्टिक्स / बीमा आदि सेवाओं पर चुकाए गए जीएसटी शुल्क, प्रतिपूर्ति के पात्र नहीं हैं, क्योंकि 'वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम' (Goods and Services Tax Act) निर्यातकों को 'इनपुट टैक्स क्रेडिट' (Input Tax Credit) का दावा करने की सुविधा प्रदान करता है। (ii) तथापि, जहाँ निर्यातक खरीदार को पूरी राशि (करों सहित) की प्रतिपूर्ति करता है, या जहाँ खरीदार कोई निश्चित राशि (जिसमें कर शामिल हो सकते हैं) काट लेता है, ऐसे मामलों में, संपूर्ण हानि—जिसमें कर घटक भी शामिल हो सकता है—को प्रतिपूर्ति के लिए विचारार्थ लिया जा सकता है।
